

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022

जयपुर दिनांक


1 AUG 2022
01 AUG 2022

—:परिपत्र:—

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं दिनांक 22.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31 मई, 2022 तक अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया गया था तथा समसख्यक परिपत्र दिनांक 31.05.2022 व 30.06.2022 के द्वारा समय सीमा बढ़ाकर 31.07.2022 की गई थी।


इसी क्रम में राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward / Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 31.07.2022 से बढ़ाकर दिनांक 31.08.2022 तक की जाती है।

भवदीय


(देवेन्द्र कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित) अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने हेतु निर्देशित करें।
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।

Beends

संयुक्त शासन सचिव